राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– **223/2012**

1. खुशीराम पुत्र मूलाराम
2. रामकला पत्नी खुशीराम } जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तहसील बुहाना झुन्झुनूं राज.

.... **वादीगण**

बनाम

1. हनुमान पुत्र श्री मूलाराम जाति अहीर निवासी रायपूर अहीरान तह. बुहाना हाल आबाद कमानिया तहसील नारलौल जिला महेन्द्रगढ हरि.
2. अमरसिंह पुत्र मूलाराम
3. रामसिंह पुत्र मूलाराम } जाति अहीर निवासी रायपूर अहीरान तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
4. राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा पचेरीकलां तह. बुहाना, जरिए शाखा प्रबंधक।
5. श्रीमती सुमन पत्नी धर्मवीर जाति अहीर नि. रायपूर अहीरान, तहसील बुहाना, झुन्झुनूं राज.
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा पचेरी कलां तह. बुहाना जरिए शाखा प्रबंधक।
7. श्रीमती विद्या देवी पत्नी नरसिंह जाति अहीर निवासी रायपूर अहीरान तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना, झुन्झुनूं राज.।

........................**प्रतिवादीगण**

(उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.))

दावा– खाता विभाजन

–::निर्णय::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:01 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :– 17–08–2022

(1). वादी का वाद रहा कि:–

1. वाके ग्राम रायपुर अहीरान तह. बुहाना स्थित हाल खाता सं. 27 जमाबंदी संवत 2068–71 हाल ख. नं. 685 रकबा 0.73 है., ख. नं. 939 रकबा 0.86 है. ख. नं. 1056

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रकबा 0.69 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.28 है. का खाता सामलाती है। उक्त खाते में वादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा व 0.3115 में 1/2 हिस्सा तथा वादीनी सं. 2 का 0.3115 है. मे 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। एवं शेष भाग के खातेदार 1 लगायत 3 व 4 दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 हनूमान के सिवाय वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं. 1 हनुमान के हिस्से पर वादी खुशीराम काबिज काश्त है। क्योंकि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को इस भूमि को क्रय करने के लिए पैसे दे रखे है। जिसका प्रतिवादी सं. 1 ने इकरारनामा भी तहरीर कर रखा है। प्रतिवादी सं. 7 का इस भूमि में 0.41 है. भाग है।

2. वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख. नं. 28 जमाबंदी सम्वत् 2068–71 के हाल ख. नं. 216/4 रकबा 0.09 है. ख. नं. 344 रकबा 0.30 है., ख. नं. 372 रकबा 0.16 है., ख. नं. 627 रकबा 0.16 है., ख. नं. 635 रकबा 0.31 है., ख. नं. 641 रकबा 0.30 है., कुल किता 6 कुल रकबा 1.32 है. का खाता सामलाती है। उक्त खाते में वादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा व 0.1805 है. मे से 1/2 भाग तथा वादीनी सं. 2 रामकलां का 0.1805 है. मे से 1/2 भाग दर्ज रिकॉर्ड है। शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 हनुमान के हिस्से में 0.1496 है. व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के हिस्से में 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। इस खाते में हनुमान के हिस्से की भूमि 0.1496 है. पर भी वादी सं. 1 खुशीराम ही काबिज काश्त है। क्योंकि उसने इस भूमि पर खरीदने के लिए प्रतिवादी सं. 1 को रूपये देकर इकरारनामा करवा रखा है। प्रतिवादीया सं. 7 का इस भूमि में 0.41 है. भाग है।

3. वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना स्थित आराजी हाल खाता सं. 29 जमाबंदी सम्वत् 2069–71 हाल ख. नं. 135 रकबा 0.48 है., ख. नं. 312 रकबा 0.66 है., ख. नं. 347 रकबा 0.30 है., ख. नं. 1038 रकबा 0.13 है., ख. नं. 1059 रकबा 0.30 है., कुल किता 5 कुल रकबा 1.87 है. का खाता सामलाती है। इस खाते में खातेदार काश्तकार वादीगण का 0.2555 है. हिस्सा है। शेष भाग अन्य सह खातेदारान व वादी का है। उक्त खाते में प्रतिवादी सं. 1 हनुमान के हिस्से पर भी वादी सं. 1 काबिज काश्त है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा वादी ने खरीद रखी है। इस बाबत प्रतिवादी सं. 1 ने इकरारनामा भी तहरीर तकमील करा रखा है। प्रति. सं. 7 का इस खाते में 0.43 है. भूमि को खातेदार व काबिज है।

4. वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील [illegible] खाता सं. 30 जमाबंदी सम्वत् [illegible] रकबा 0.58 है., ख. नं. 762 2068–71 हाल ख. नं. 53 रकबा 0.22 है. खसरा [illegible] सामलाती है। उक्त खाते रकबा 0.26 है. कुल किता 3 कुल [illegible] 0600 है [illegible] 3 दर्ज रिकॉर्ड है। में वादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

5. वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदारान अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। रिकॉर्ड में खाता सामलाती रहने से वादीगण को लगान अदा करने में परेशानी होती है। अतः वादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि का खाता अलहेदा कराने का निश्चय किया।

वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि –

क). वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना स्थित आराजी हाल खाता सं. 27 खसरा नं. 685, 939, 1056 कुल किता 3 कुल रकबा 2.28 है. में वादीगण का 0.3115 हिस्सा व 1/4 भाग वादी सं. 1 व खाता सं. 28 खसरा नं. 216/4, 344, 372, 627, 635, 641 कुल किता 6 कुल रकबा 1.3200 है. में वादीगण का 0.1805 है., हिस्सा व 1/4 भाग, व खाता सं. 29 हाल खसरा नम्बर 135, 312, 347, 1038, 1059 कुल किता 5 कुल रकबा 1.87 है. में वादी का 0.2555 है. हिस्सा व 1/4 भाग व खाता सं. 30 ख. नं. 53, 631, 762 कुल किता 3 कुल रकबा 1.060 है. में वादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा का खाता अलहदा कायम कर लगान भी अलग से कायम कर तदानुसार रास्ता कायम करते हुए तदानुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे।

(2). दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से श्री अशोक यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल के बावजुद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3). वादी की ओर से नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71, नकल नक्शा ट्रेश पेश किए गए।

(4). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 23–12–2015 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 07–10–2019 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:01 IST
Reason: SelfAttested

—::आदेश::—

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना स्थित खाता सं. 27 खसरा नं. 685, 939, 1056 कुल किता 3 कुल रकबा 2.28 है. व खाता सं. 28 खसरा नं.

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

216/4, 344, 372, 627, 635, 641 कुल किता 6 कुल रकबा 1.3200 है. व खाता सं. 29 हाल खसरा नम्बर 135, 312, 347, 1038, 1059 कुल किता 5 कुल रकबा 1.87 है व खाता सं. 30 ख. नं. 53, 631, 762 कुल किता 3 कुल रकबा 1.060 है. में भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 17-08-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:01 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 223/2012
निर्णय दिनांक :– 17–08–2022

खुशीराम आदि **बनाम** हनुमान आदि

<u>दावा– खाता विभाजन</u>

–:निर्णयः–

वादीगण की ओर से **श्री महावीर चौधरी एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से **श्री अशोक कुमार एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज दिनांक 17–08–2022 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना स्थित खाता सं. 27 खसरा नं. 685, 939, 1056 कुल किता 3 कुल रकबा 2.28 है. व खाता सं. 28 खसरा नं. 216/4, 344, 372, 627, 635, 641 कुल किता 6 कुल रकबा 1.3200 है. व खाता सं. 29 हाल खसरा नम्बर 135, 312, 347, 1038, 1059 कुल किता 5 कुल रकबा 1.87 है व खाता सं. 30 ख. नं. 53, 631, 762 कुल किता 3 कुल रकबा 1.060 है. में भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक **17-08-2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
प्रथम सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:01 IST
Reason: SelfAttested